सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025 / 53 दर्ज तिथिः—07.02.2025

1. भागीरथ गौड़ पुत्र देदाराम
   जाति ब्राहम्ण निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी

..................वादी

बनाम

1. नोजीदेवी पत्नी उमाराम जाति जाट
2. जीयाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट
3. मांगीलाल पुत्र प्रभूराम जाति ब्राहम्ण
4. घेवरचन्द पुत्र दौलाराम
5. मानी देवी पत्नी दौलाराम
6. चम्पालाल पुत्र चुतराराम
7. धनराज पुत्र चुतराराम
8. हीरोदेवी पत्नी चुतराराम
9. पुखराज पुत्र किशनाराम
10. सन्तोष पुत्र किशनाराम
11. बाबूलाल पुत्र किशनाराम
12. नरसींगाराम पुत्र बस्तीराम लाऔलाद फौत
    जाति ब्राहम्ण निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी
13. प्रेमी पुत्री रामचन्द पत्नी ओमप्रकाश
    जाति ब्राहम्ण निवासी दूधू तहसील धोरीमन्ना
14. लूणी पुत्री रामचन्द
    जाति ब्राहम्ण निवासी जूना देसर जिला जोधपुर
15. सायन्ती पुत्री रामचन्द्र पत्नी भंवरलाल
    जाति ब्राहम्ण निवासी मीठड़ा धोरीमन्ना
16. लक्ष्मी पत्नी रामचन्द्र
    जाति ब्राहम्ण निवासी पीपराली
17. गेहरो पत्नी जगमाल लाऔलाद फौत
    जाति ब्राहम्ण निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी

..................असल प्रतिवादीगण

18. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुड़ामालानी

भागीरथ बनाम नोजी
2025 / 53
निर्णय दिनांकः—25.05.2026

19. तहसीलदार गुड़ामालानी

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री रामजीवन विश्नोई
श्री चिमनसिंह चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 25.05.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते प्रारम्भिक डिक्री किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 837 / 9.3239 है0 वाके ग्राम रामजी का गोल फांटा पटवार हल्का पीपराली तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है।

2. प्रकरण में दिनांक 04.12.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी के पत्रांक / कोर्ट / 2026 / 2015 दिनांक 31.01.2026 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार गुढामालानी के पत्रांक / कोर्ट / 2026 / 2015 दिनांक 31.01.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.	प्रकरण में दिनांक 20.01.2026 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.	
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2784—2799 दिनांक 19.12.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 20.01.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2784—2799 दिनांक 19.12.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 20.01.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात प्रकरण में उभय पक्षकारान को तलब किया जा कर उभय पक्षकारान के द्वारा अपने स्तर से अदालत में ही संशोधित प्रस्ताव परिशिष्ट ''अ'' प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा वादी सहमति से सभी प्रतिवादी एवं वादी का पृथक खाता कायम करने हेतु संशोधित विभाजन प्रस्ताव परिशिष्ट ''अ'' प्रस्तुत किया गया। जो कि निम्न प्रकार है—

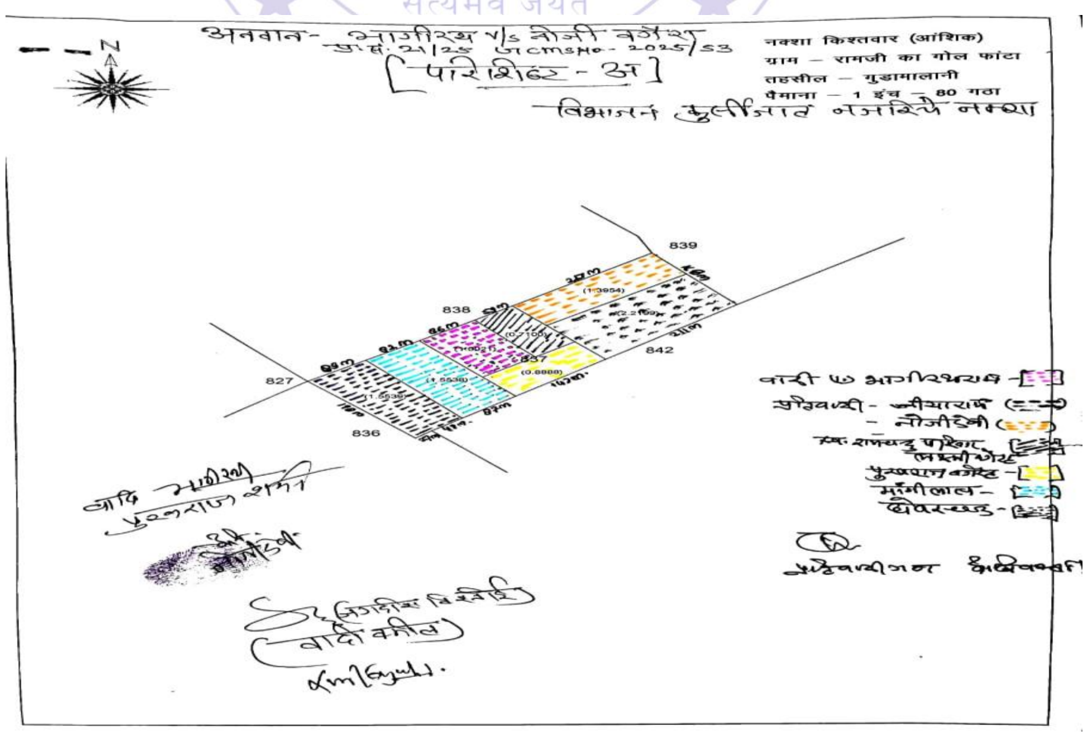

4. उक्त संशोधित विभाजन अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा परिशिष्ट ''अ'' पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074—2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या आराजी खसरा संख्या 837 / 9.3239 है0 वाके ग्राम रामजी का गोल फांटा पटवार हल्का पीपराली तहसील गुड़ामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान / अतिक्रमण किया जा रहा हो / किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न / अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक / मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत / संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

8. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या आराजी खसरा संख्या 837/9.3239 है0 वाके ग्राम रामजी का गोल फांटा पटवार हल्का पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा मुताबिक उभय पक्षकारान की सहमति से प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' एवं नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
भागीरथ गौड़ पुत्र देदाराम जाति ब्राहमण	पूर्ण	रामजी का गोल फांटा	837	1.0021 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.0021 है0					
जीयाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट रहन एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	पूर्ण	रामजी का गोल फांटा	837	2.2199 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.2199 है0					
नोजीदेवी पत्नी उमाराम जाट सा0 खातेदार	पूर्ण	रामजी का गोल फांटा	837	1.3954 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.3954 है0					
प्रेमी पुत्री रामचन्द्र लक्ष्मी पत्नी रामचन्द्र लूणी पुत्री रामचन्द्र शायन्ती पुत्री रामचन्द्र गेहरों पत्नी जगमाल जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार	जमाबंदी अनुसार	रामजी का गोल फांटा	837	0.7100 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.7100 है0					
पुखराज पुत्र किशनाराम बाबूलाल पुत्र किशनाराम सन्तोष पुत्र किशनाराम हीरो पत्नी चुतराराम चंपालाल पुत्र चुतराराम धनराज पुत्र चुतराराम नरसीराम पुत्र बस्तीराम जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार	जमाबंदी अनुसार	रामजी का गोल फांटा	837	0.8888 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.8888 है0					
मांगीलाल पुत्र प्रभूराम	पूर्ण	रामजी का गोल फांटा	837	1.5538 है0	बा0दो0

कुल किता 01 रकबा 1.5538 है0					
घेवरचंद पुत्र दौलाराम मानीदेवी पत्नी दौलाराम जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार	1 / 2 1 / 2	रामजी का गोल फांटा	837	1.5539 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.5539 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

उभय पक्षकरान की सहमति से प्रस्तुत नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर／उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025 ／ 53 दर्ज तिथिः—07.02.2025

1. भागीरथ गौड़ पुत्र देदाराम
जाति ब्राहम्ण निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.................वादी

बनाम

1. नोजीदेवी पत्नी उमाराम जाति जाट
2. जीयाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट
3. मांगीलाल पुत्र प्रभूराम जाति ब्राहम्ण
4. घेवरचन्द पुत्र दौलाराम
5. मानी देवी पत्नी दौलाराम
6. चम्पालाल पुत्र चुतराराम
7. धनराज पुत्र चुतराराम
8. हीरोदेवी पत्नी चुतराराम
9. पुखराज पुत्र किशनाराम
10. सन्तोष पुत्र किशनाराम
11. बाबूलाल पुत्र किशनाराम
12. नरसींगाराम पुत्र बस्तीराम लाऔलाद फौत
जाति ब्राहम्ण निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी
13. प्रेमी पुत्री रामचन्द पत्नी ओमप्रकाश
जाति ब्राहम्ण निवासी दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर
14. लूणी पुत्री रामचन्द
जाति ब्राहम्ण निवासी जूना देसर जिला जोधपुर
15. सायन्ती पुत्री रामचन्द्र पत्नी भंवरलाल
जाति ब्राहम्ण निवासी मीठड़ा धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
16. लक्ष्मी पत्नी रामचन्द्र
जाति ब्राहम्ण निवासी पीपराली
17. गेहरो पत्नी जगमाल लाऔलाद फौत
जाति ब्राहम्ण निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.................असल प्रतिवादीगण

18. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुड़ामालानी
19. तहसीलदार गुड़ामालानी

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगणः–श्री रामजीवन विश्नोई
श्री चिमनसिंह चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या आराजी खसरा संख्या 837/9.3239 है0 वाके ग्राम रामजी का गोल फांटा पटवार हल्का पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा मुताबिक उभय पक्षकारान की सहमति से प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' एवं नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
भागीरथ गौड़ पुत्र देदाराम जाति ब्राहमण	पूर्ण	रामजी का गोल फांटा	837	1.0021 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.0021 है0					
जीयाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट रहन एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	पूर्ण	रामजी का गोल फांटा	837	2.2199 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.2199 है0					
नोजीदेवी पत्नी उमाराम जाट सा0 खातेदार	पूर्ण	रामजी का गोल फांटा	837	1.3954 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.3954 है0					
प्रेमी पुत्री रामचन्द्र लक्ष्मी पत्नी रामचन्द्र लूणी पुत्री रामचन्द्र शायन्ती पुत्री रामचन्द्र गेहरों पत्नी जगमाल	जमाबंदी अनुसार	रामजी का गोल फांटा	837	0.7100 है0	बा0दो0

जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार					
कुल किता 01 रकबा 0.7100 है0					
पुखराज पुत्र किशनाराम बाबूलाल पुत्र किशनाराम सन्तोष पुत्र किशनाराम हीरो पत्नी चुतराराम चंपालाल पुत्र चुतराराम धनराज पुत्र चुतराराम नरसीराम पुत्र बस्तीराम जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार	जमाबंदी अनुसार	रामजी का गोल फांटा	837	0.8888 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.8888 है0					
मांगीलाल पुत्र प्रभूराम	पूर्ण	रामजी का गोल फांटा	837	1.5538 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.5538 है0					
घेवरचंद पुत्र दौलाराम मानीदेवी पत्नी दौलाराम जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार	1/2 1/2	रामजी का गोल फांटा	837	1.5539 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.5539 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

उभय पक्षकारान की सहमति से प्रस्तुत नक्शा कुर्रेजात डिक्री का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी